मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-15

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2007 (चैत्र 2, 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 9.03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. श्रद्धांजलि

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शहीदे आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई साथ ही श्री राममनोहर लोहिया जो कि देश के बहुत उच्च कोटि के चिंतक विचारक और देश को दिशा देने वाले रहे हैं, को उनके जन्मदिन पर स्मरण किया गया।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि अब प्रश्नों का द्वितीय चक्र शुरू होगा पूर्व में अनुपस्थित माननीय सदस्यों के नाम क्रमशः पुकारे जायेंग, अगर वे उपस्थित होगें, तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकेंगे। द्वितीय चक्र में दो प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 110 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 131 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि आज की प्रश्नोत्तर सूची में शामिल सभी 25 तारांकित प्रश्नों का दूसरा चक्र भी निर्धारित समय से पूर्व पूरा होने के कारण कार्यसूची में निहित अन्य विषय लिया जाता है।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि -

नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में 31 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा उन्होंने प्रदान की है यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी। इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।
मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना जिले में जलाभिषेक कार्यक्रम में अनियमितता होने,

(2) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की रीवा जिले में ओला पीड़ित कृषकों के फसल आंकलन में अनियमितता होने,

(3) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य की सतना जिले की तहसील अंतर्गत अनेक ग्रामों में ओलावृष्टि से फसलें नष्ट होने,

(4) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की शाजापुर जिले के तहसील शुजालपुर के ग्राम चितावद डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने,

(5) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के खरगापुर क्षेत्रान्तर्गत मंडी न होने से किसानों एवं व्यापारियों को आर्थिक क्षति होने,

(6) श्री प्रदीप अमृतलाल, सदस्य की वन परिक्षेत्र कार्यालय वारासिवनी के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण जिले में जलाऊ लकड़ी का अभाव होने,

(7) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य की नेपानगर विधाननसभा अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में उपभोक्ताओं को हजारों रुपये के बिल दिये जाने,

(8) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य की सिवनी जिले में वन विभाग में आवासीय कालोनी के आवास आवंटन में अनियमितता होने,

(9) श्री हमीद काजी, सदस्य की बुरहानपुर जिले के अनेक ग्रामों पर सरचार्ज सहित करोड़ों रूपये के बिल किसानों को थमाए जाने,

(10) श्री ताराचन्द्र बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के अन्तर्गत परासिया में स्थित शासकीय पंचव्हेली महाविद्यालय के भवन निर्माण में किये गये कार्य का वेतन कर्मचारियों से दिलाए जाने,

(11) श्री अजय सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के मलावर स्थित चिकित्सालय में चिकित्सक का पद रिक्त होने,

(12) डॉ. सुनीलम, सदस्य की बैतूल जिले के मुलताई तहसील में शिवधाम सालबर्डो मेंले में बजरंग दल द्वारा सरपंच के बेटे के साथ मारपीट होने,

(13) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की भोपाल के नार्थ टी.टी.नगर क्षेत्र में पेयजल संकट होने,

(14) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के लहार क्षेत्र में विद्युत संकट होने,

(15) श्री प्रेम सिंह पटेल, सदस्य की बड़वानी जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद रिक्त होने,

(16) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की कटनी जिले के अंतर्गत चाका केमोर मार्ग के निर्माण में सड़क एवं विद्युत लाईन का अंतर कम होने से जानमाल को खतरा होने,

(17) श्री ताराचंद गोयल (मैकेनिक), सदस्य की विधान सभा क्षेत्र तराना अंतर्गत रूपाखेड़ी कनासिया मार्ग क्षतिग्रस्त होने,

(18) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित विकास खण्ड बैहर एवं विकास खण्ड बिरसा ग्रामों में रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत कराये गये कार्यों का भुगतान, मजदूरों का भुगतान लम्बे समय से नहीं करने,

(19) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र के दोनों ब्लाकों में चोरों का आतंक होने,

(20) श्रीमती अर्चना दीदी, सदस्य की नेपानगर स्थित वार्ड क्रमांक 14,15 में विद्युत प्रदाय में कटौती होने,

(21) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की सीहोर जिला मुख्यालय स्थित सर्राफा मार्केट से डकैतों द्वारा लाखें रूपये मूल्य के जेवरात चोरी किये जाने,

(22) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में विद्युत संकट होने,

(23) श्री हुकुम चंद यादव, सदस्य की खंडवा के समीप मिनी गोघ सेंटर की स्थापना न की जाने,

(24) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले में संचालित शिक्षा गारंटी शालाओं को बंद किये जाने,

(25) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की धार जिले के मुख्यालय कुक्षी मार्ग से किसानों से ओन पोन भाव से अनाज खरीद कर दूसरे प्रदेशों में बेचे जाने,

(26) श्री दरबू सिंह उईके, सदस्य की बालाघाट जिले के परसवाड़ा विकासखण्ड अंतर्गत ग्रामीण सड़क योजना कार्य में मिट्टी-गिट्टी का खराब उपयोग किये जाने,

(27) श्री प्रेम चंद गुड्डू, सदस्य की उज्जैन जिले की नागदा ग्रेसिम मिल द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किये जाने,

(28) श्री शिवप्रसाद राठौर, सदस्य की प्रदेश में गन्ने की फसल पर अन्य फसलों के बराबर शुल्क लिये जाने,

(29) श्री सोबरन सिंह (बाबूजी), सदस्य की प्रदेश के बी.एड. कालेजों द्वारा निर्धारित दर से अधिक फीस की वसूली होने,

(30) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ जिले में नवीन हैण्ड पंप न खोदे जाने,

(31) श्री हरवंश सिंह, सदस्य की प्रदेश के जिला मुख्यालयों में पशु चिकित्सा विशेषज्ञों के पद रिक्त होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2007-2008 का परिणामी बजट पटल पर रखा।

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित औद्योगिक विवाद (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 10 सन् 2006)-(अधिनियम क्रमांक-3 सन् 2007) को महामहिम राष्ट्रपति महोदय की तथा वर्तमान सत्र में पारित मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 (क्रमांक 4 सन् 2007)-(अधिनियम क्रमांक-4 सन् 2007) को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है।

7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 24 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम चार ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने मंडी बोर्ड सड़क निधि की राशि का अन्य कार्यों में उपयोग किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्रीमती अलका जैन, सदस्य ने कटनी निवासी एक युवती की संदिग्ध मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री राजनारायण सिंह पुरनी, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले में पोषण आहार क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) डॉ.आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के मऊगंज के वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं -

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य की संस्कृत बोर्ड द्वारा अंकसूचियों में हेराफेरी किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(6) सर्वश्री प्रियव्रत सिंह, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सदस्य की बड़वानी जिले के एक कृषक द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(7) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना जिले के बाणसागर डूब प्रभावितों के नई बसाहट में ऋण सुविधा मुहैया न कराये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(8) श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री राजेश पटेल, सदस्य की प्रदेश के अनेक जिलों में कृषकों द्वारा ऋण की अदायगी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(9) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविंद सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने का कारखाना पकड़े जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(10) श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री राजेश पटेल, सदस्य की धार जिले के पीथमपुर में ऑटो टेस्टिंग हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री का वक्तव्य।

(11) सर्वश्री आरिफ अकील, सज्जन सिंह वर्मा, रामनिवास रावत, सदस्य की भोपाल के कमला नगर थाना अन्तर्गत मादक पदार्थों की अवैध बिक्री होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(12) श्री अजय सिंह, सदस्य की प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन राशि केन्द्र सरकार के समान न दिये जाने संबंधी सूचना तथा सामाजिक न्याय मंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की प्रदेश में पोलिटेक्निक कालेजों को निजी हाथों में सौंपे जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा का वक्तव्य।

(14) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना जिले में गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को खाद्यान्न एवं केरोसीन न मिलने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य।

(15) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की बालाघाट के लांजी में राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम हासिलपुर स्थित मंदिर से मूर्ति की चोरी होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(17) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री आरिफ अकील, सदस्य की हरदा जिले में तवा नहर से सिंचाई हेतु पानी अंतिम छोर तक न मिलने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(18) सर्वश्री आरिफ अकील, राजेश पटेल, रामलखन शर्मा, सदस्य की रतलाम जेल में विचाराधीन कैदी की मौत होने संबंधी सूचना तथा जेल मंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री दीपक कैलाश जोशी, सदस्य की भोपाल के भौंरी बकानिया स्थित गैस प्लांट से कम मात्रा में गैस भरी जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री रामनिवास रावत, श्रीमती सरोजबच्चन नायक, डॉ. सुनीलम्, सदस्य की रतलाम स्थित ईसाई मिशनरी के अस्पताल परिसर से अस्थियां पाई जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(21) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले में ग्राम रामनई में एक युवक की हत्या होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले के किल्लाई में एक लड़की के साथ बलात्कार के दोषियों पर कार्यवाही न किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(23) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल में सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य।

(24) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य की देवास जिले के खातेगांव एवं कन्नौद तहसील में अतिवृष्टि से प्रभावित फसल के सर्वे कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री गजराज सिंह सिकरवार, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का सप्तम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की सीधी जिले के -

- (क) ग्राम ओड़गड़ी में कन्या प्राथमिक विद्यालय खोले जाने,
- (ख) ग्राम महखोर में कन्या हाई स्कूल खोले जाने,
- (ग) ग्राम झारा में कन्या आश्रम खोले जाने,
- (घ) ग्राम उज्जैनी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने, तथा
- (ङ) ग्राम बरगवां के कन्या माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की रतलाम जिले के -

- (क) तहसील जावरा के ग्राम लालाखेड़ा से जावरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (ख) विकासखंड जावरा के ग्राम बहादुरपुर से आक्योबनी तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(ग) पिपलौदा तहसील के ग्राम मावता से रियावन के मध्य विद्युत ग्रिड स्थापित कराये जाने,

(घ) ग्राम पिंगराला, जड़वासा, बरखेड़ी के मध्य खोड़ाना तालाब का अधिग्रहण कर नहर बनाये जाने,

(ङ) तहसील जावरा के शासकीय महाविद्यालय स्थित मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने, तथा

(च) तहसील जावरा के ग्राम माण्डवी में विद्युत ग्रिड की स्थापना कराये जाने,

(3) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य की होशंगाबाद जिले की तहसील सोहागपुर के -

(क) ग्राम शोभापुर में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का भवन निर्माण कराये जाने,तथा

(ख) ग्राम शोभापुर स्थित नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

10. वक्तव्य

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री गृह ने दिनांक 21 फरवरी, 2007 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्रमांक 787) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2007 (क्रमांक 5 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(१) श्री सत्यदेव कटारे

(२) श्री दुर्गालाल विजय

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(३) श्री रामलखन शर्मा

(४) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

खण्ड 2,3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2007 (क्रमांक 5 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

12. अशासकीय संकल्प

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री शरद जैन "एडव्होकेट", सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"सदन का यह मत है कि नाई जाति को प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल किया जाय".

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(१) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(२) श्री शरद जैन "एडव्होकेट"
(३) श्री रामलखन शर्मा
(४) श्री इन्द्रजीत कुमार
(५) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"
(६) डॉ. गोविन्द सिंह

श्री जगदीश देवड़ा, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(2) श्री कपूरचंद घुवारा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ललितपुर-सिंगरोली रेल लाईन का कार्य प्रथम फेस में लेकर तीव्र गति से पूर्ण कराया जाय" संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(१) श्री रामलखन शर्मा
(२) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला
(३) श्री इन्द्रजीत कुमार
(४) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(५) श्री शरद जैन
(६) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(७) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि : -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भिण्ड से कोंच (उ.प्र.) व्हाया लहार रेल लाईन बिछायी जाय" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया

श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

13. नियम-169 के अंतर्गत सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उन्हें श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य विधान सभा से श्री अजय विश्नोई, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिन्हें मैंने परीक्षणोपरांत जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है।

12 बजकर 52 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2007 (चैत्र 8, 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.